सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –175/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

सोदान पुत्र जयकिशन मीणा जाति मीणा निवासी भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज.

वादी

बनाम

1. सुखलाल पुत्र कल्याण जाति मीणा
2. जगदीश पुत्र कल्याण जाति मीणा
3. मोहन पुत्र कल्याण जाति मीणा
4. घीसालाल पुत्र रामकिशन जाति मीणा
5. सोहनी पत्नि सुगना जाति भील
6. रामेश्वर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट
   समस्त निवासीगण भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
7. तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादी

राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–18.6.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी के खाता स. 459 खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.57 हैक्ट., खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.25 हैक्ट. भूमि वादी नाम दर्ज खातेदार है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है। प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजीयात के सीमा चिन्ह खुर्दबुर्द हो गये तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 का उक्त आराजीयात में पडोसी खातेदार है। प्रतिवादीगण आये दिन लडाई झगडा पर आमादा है तथा आराजी पर अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है। जिसके कारण वादी द्वारा स्वयं की आराजीयात की पत्थगढी किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट सावर में पेश हुई ।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन भी वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वाके वाके ग्राम भीमडावास तहसील केकड़ी के खाता स. 459 खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.57 हैक्ट., खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.25 हैक्ट. भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 18.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी